।।ओ३म्।।

आर्यसमाज
के नियम-उपनियम

आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

3/5 महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान,

नई दिल्ली-110002

वर्तमान कैम्प कार्यालय :

आर्यसमाज, 15-हनुमान रोड, नई दिल्ली-1

दूरभाष : 011-23360150

ई-मेल : aryasabha@yahoo.com

संशोधित उपनियमों के प्रथम संस्करण का

प्राक्कथन

आर्यसमाज के उपनियम 50 वर्ष पूर्व बने थे। उनमें एक उपनियम यह भी था कि वर्ष पीछे विज्ञापन देकर उन्हें संशोधित किया जा सकता है परन्तु इस ओर आर्यसमाजों का ध्यान ही नहीं गया। अब जब आवश्यकताओं ने विवश किया तो इनके संशोधन की ओर सार्वदेशिक सभा का ध्यान गया। उपनियमों के संशोधन के सम्बन्ध में प्रत्येक समाज और प्रान्तीय सभा से दो-दो बार सम्मतियां मंगाई गईं। एक बार की सम्मति के बाद एक पांडुलिपि उपनियमों की सार्वदेशिक सभा की स्वीकृति से बनाकर समस्त समाजों और प्रान्तीय सभाओं को भेजकर उनकी दुबारा सम्मतियां मंगाई गईं। इसी दुबारा आई हुई सम्मतियों पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की प्रथम अन्तरंग सभा उसके बाद उसकी नैमित्तिक साधारण सभा ने विचार किया। विचार के बाद उपनियम स्वीकृति के लिए उस सभा में उपस्थित किए गए जो समस्त आर्यसमाजों के सदस्यों के थे जिनमें आर्य भी शामिल थे। यह सभा नियमपूर्वक एक मास से अधिकार का नोटिस देकर बुलाई गई थी। इस सभा ने आवश्यक संशोधन के बाद को उपनियमों को स्वीकार कर लिया। वे संशोधित और परिवर्तित नियम यही हैं जो इस नोट के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं।

बलिदान भवन, देहली
30/01/1935

- **नारायण स्वामी**
सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा,
नई दिल्ली-110002

द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन

सन् 1875 ई0 में बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना के साथ महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज के कार्यवहन ने लिए कुछ नियम बनाए थे जिनकी संख्या 28 थी। आर्यसमाज के दस नियम जो उसके उद्देश्य हैं और महर्षि द्वारा निर्मित हैं वे सर्वोपरि हैं और उनमें किसी प्रकार का संशोधन आदि करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। कार्यवहन के नियमों को उपनियम का नाम दिया गया है। इन 28 उपनियमों में एक उपनियम यह भी था कि वर्ष वर्ष पीछे विज्ञापन देकर उन्हें संशोधित किया जा सकता है। इसका तीसरा नियम इस प्रकार था-

'इस समाज में प्रति देश के मध्य एक प्रधान समाज होगा और अन्य समाज शाखा-प्रशाखा होंगे।' यह तीसरा उपनियम ही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रेरणा मन्त्र था। इसी आधार पर 31 अगस्त, 1909 ई0 को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई। सार्वदेशिक सभा के उद्देश्य में 11वां उद्देश्य इस प्रकार है-

'आर्यसमाज के उपनयिमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन करना तथा परिवर्द्धन करना।'

आर्यसमाज के उपनियमों की धारा 48 (वर्तमान संशोधित उपनियमों की धारा 44) इस उद्देश्य की पूर्त्यर्थ है। इस प्रकार आर्यसमाज के उपनियमों में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्द्धन का एकमात्र अधिकार सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को ही प्राप्त है।

सार्वदेशिक सभा ने इन उपनियमों का संशोधन 1935 ई0 में किया

था। वे ही अब तक चले आ रहे थे। आवश्यकता अनुभव किए जाने से इस सभा की अन्तरंग सभा ने संशोधन के प्रारूप का प्राक्कथन तैयार किया और आर्यसमाजों तथा समस्त प्रान्तीय सभाओं को उस प्रारूप को भेजकर उनकी सम्मतियां मंगाई। सम्मतियां प्राप्त हो जाने पर पुनः अन्तरंग में विचारकर उन्हें सभा में नैमित्तिक अधिवेशन में रखा गया और नैमित्तिक अधिवेशन ने उन्हें स्वीकार किया। पुनः उस प्रारूप को आर्यों एवं आर्यसमाजों के सदस्यों की सभा में रखा गया। यह नैमित्तिक अधिवेशन और आर्यसमाज के सदस्यों की सभा एक मास से अधिक का नोटिस देकर बुलाई गई थी। इस प्रकार सार्वदेशिक सभा ने दिनांक 18/07/1971 को उपनियमों को स्वीकार किया और संशोधित और परिवर्तित उपनियम ये ही हैं जो इस प्राक्कथन के द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं। संशोधित उपनियम 1 नवम्बर 1971 से लागू हैं।

स्वामी आनन्दबोध सरस्वती — प्रधान

सच्चिदानन्द शास्त्री — मन्त्री

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान,

नई दिल्ली-110002

वर्तमान संस्करण का

प्राक्कथन

आर्यसमाज एक सैद्धान्तिक संगठन है। सिद्धान्तों के हवाले के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत ग्रन्थ समस्त आर्यजनों के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपनी समस्त रचनाओं में वैदिक सिद्धान्तों को ही आधार बनाया है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वैदिक सिद्धान्तों को लागू करना तथा आर्यसमाज के उपनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्द्धन करना अपना उद्देश्य निर्धारित किया, नियम संख्या 44 इस बात का प्रमाण भी है।

सिद्धान्तों की रक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनके पीछे एक अनुशासित संगठन खड़ा नजर आना चाहिए। यदि संगठन में अनुशासनहीन तत्व प्रवेश करने लगें तो निश्चय जानना चाहिए कि आने वाले समय में सिद्धान्तहीनता बढ़ जाएगी।

आइए! हम सब मिलकर यह प्रयास करें कि आर्यसमाज में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति आर्यसमाज के नियमों के अनुसार ही आचरण व्यवहार करें। बड़ी विनम्रता और परस्पर प्रेम को रखकर सुदृढ़ता के साथ इन नियमों के अनुसार ही आर्यसमाजों का संचालन हो।

आशा है, समस्त आर्यजन आर्यसमाज के इन उपनियमों के अनुसार कार्य करके एक अनुशासनबद्ध संगठन के निर्माण में

सहायक सिद्ध होंगे।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर सार्वदेशिक सभा द्वारा जारी आदेशों-निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित कराना प्रत्येक आर्यबन्धु का कर्त्तव्य है।

इन नियमों से सम्बन्धित किसी प्रकार का संशय होने पर कोई भी महानुभाव निःसंकोच सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

आचार्य बलदेव
प्रधान

प्रकाश आर्य
मन्त्री

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली-110002

वर्तमान कैम्प कार्यालय :
आर्यसमाज, 15-हनुमान रोड, नई दिल्ली-1

(यह संस्करण अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2012 के अवसर पर)

अनुशासित संगठन ही सिद्धान्तों की रक्षा कर सकता है।

आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने 1875 ई0 में की। उनके जीवन काल में ही आर्य समाज का काफी विस्तार हुआ। ज्यों-ज्यों विस्तार हुआ त्यों-त्यों आवश्यकतानुसार नियम-उपनियम भी बनाए गए और उन्हें समय-समय पर संशोधित भी किया गया। हांलाकि अब भी कभी-कभी इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन की बात उठती है। जो समयानुसार आवश्यक भी हो सकती है किन्तु इनके संशोधन के लिए जिस प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है वह इन नियमों की गरिमा के अनुसार ठीक ही है। अतएव सार्वदेशिक सभा जब इस पर प्रक्रियानुसार पूर्ण विचार करेगी, तभी इसमें समयानुकूल परिवर्तन सम्भव हो सकेंगे। तबतक इन नियमों का हमें अत्यन्त कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसी में संगठन का सम्पूर्ण हित जुड़ा है। आर्य समाज की वर्तमान स्थिति में यह और भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2012 का अवसर आर्यसमाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इसी अवसर पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है।

विनय आर्य

महामन्त्री

(दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा)

।। ओ३म्।।

उपनियम

नाम

१. इस समाज का नाम आर्यसमाज होगा और न्यून से न्यून ११ सदस्य होने पर समाज बन सकेगा।*

उद्देश्य

२. इस समाज के उद्देश्य वही हैं जो इसके दस नियमों में वर्णित हैं।

आर्य सदस्य

३. जो व्यक्ति आर्यसमाज में नाम लिखवाना चाहे और समाज के उद्देश्यों के अनुकूल आचरण स्वीकार करे, वह आर्यसमाज में प्रविष्ट हो सकता है, परन्तु उसकी आयु १८ वर्ष से न्यून न हो। इस प्रकार जो आर्यसमाज में प्रविष्ट

__टिप्पणी__ - आर्यसमाज शब्द से महिला आर्यसमाज भी अभिप्रेत है और इसकी भी पुरुषों और स्त्रियों से बने समाज जैसी वैधानिक स्थिति होगी।

हो वह 'आर्य सदस्य' कहलाएगा। परन्तु कोई व्यक्ति एक समय में एक ही समाज का सदस्य हो सकता है।

आर्यसमाज में नाम लिखवाने के लिए मन्त्री को इस प्रकार का पत्र लिखना चाहिए–

"मैं प्रसन्नतापूर्वक आर्यसमाज के उद्देश्यों को (जैसा कि नियमों में वर्णन किए गए हैं) तथा मन्तव्यों एवं सिद्धान्तों को (जो वेदों के आधार पर ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में लिखे गए हैं) मानता हूं और उनके अनुकूल आचरण स्वीकार करता हूं। मेरा नाम आर्यसमाज में लिख लेवें।"

परन्तु अन्तरंग सभा को अधिकार रहेगा कि किसी विशेष हेतु से उसका नाम आर्यसमाज में लिखना स्वीकार न करे। यदि अन्तरंग सभा प्रवेश पत्र को अस्वीकार करे तो अन्तरंग सभा को सूचना देकर प्रान्तीय सभा में अपील हो सकेगी। यदि प्रान्तीय सभा के निर्णय से सन्तोष न हो तो प्रान्तीय सभा की न्याय सभा और अन्ततः सार्वदेशिक न्याय सभा में अपील हो सकेगी।

आर्य सभासद्

४. (क) जिसका नाम किसी आर्यसमाज में सदाचार पूर्वक दो वर्ष तक अंकित रहा हो और वह अपनी आय का शतांश मासिक वा वार्षिक अथवा १०००/— रुपया वार्षिक व अधिक धन समाज को देता रहा हो और जिसकी उपस्थिति साप्ताहिक सत्संगों में कम से कम २५ प्रतिशत तक हो तो वह आर्य सभासद् माना जा सकता है।

(ख) आर्यसमाज में २ वर्ष भर नाम अंकित रहने का नियम समाज की स्थापना के तीसरे वर्ष से लागू होगा।

अन्तरंग सभा किसी विशेष हेतु चन्दा न दे सकने अथवा शतांश से न्यून देने वाले को आर्य सभासद् बना सकती है। परन्तु उनकी संख्या उक्त आर्य सभासदों की संख्या के ५ प्रतिशत तक हो सकती है और अंश पूर्णांक माना जाएगा। आर्य संस्थाओं को (चाहे वे आर्यसमाज के अन्तर्गत हों या न हों) धन देना शतांश न होगा।

विशेष अवस्थाओं में अन्तरंग सभा किसी व्यक्ति के लिए उपस्थिति के नियम को शिथिल कर सकती है, परन्तु उनकी संख्या ५ प्रतिशत से अधिक न

होगी। आर्यसमाज का सदस्य किसी भी आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित होता है तो उसकी उपस्थिति स्थानीय आर्यसमाज में मान ली जाएगी। परन्तु जिस समाज में सदस्य साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित रहे उस समाज द्वारा १ मास के भीतर स्थानीय समाज को इस विषय की सूचना देनी होगी।

विशेष अवस्थाओं और संख्या का निर्णय करना समाज की अन्तरंग सभा का काम है। सदस्य का नगर या ग्राम से बाहर होना, रुग्ण होना वा किसी ऐसी विवशता में ग्रस्त होना जिसके विषय में अन्तरंग सभा को पूर्ण सन्तोष हो विशेष अवस्थाएं समझी जा सकती हैं, प्रमुखतः ऐसी छूट के अधिकारी वे ही महानुभाव हैं जिनके जीवन में क्रियात्मक रूप से धर्मावलम्बन पाया जाता हो तथा कम से कम पिछले वर्ष उनके जीवन का कुछ भाग आर्यसमाज और वैदिक संस्कृति के प्रचार–प्रसार में व्यय हुआ हो।

(ग) सम्मति देने का अधिकार केवल आर्य सभासदों को होगा। अन्तरंग सभा प्रतिवर्ष ऐसे आर्य सभासदों के नाम निर्वाचन से एक मास पूर्व रजिस्टर में अंकित करेगी और ऐसे सदस्यों

की सूची आर्यसमाज मन्दिर में तुरन्त टांग दी जाएगी।

(घ) उपधारा (क) में प्रयुक्त सदाचार की परिभाषा इस प्रकार है :—

'संध्या आदि नित्य कर्म, शुद्धव त्ति, वैदिक संस्कार, पत्नीव्रत या पतिव्रत सदाचार हैं। व्यभिचार तथा मद्यादि मादक द्रव्यों और मांसादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, जुआ, चोरी, छल-कपट, रिश्वत आदि दुराचार हैं।'

(च) स्त्रियों को आर्यसभासद् बनाने के लिए यदि उनकी आय अपने संरक्षक वा पति की आय से प थक् न हो तो संरक्षक वा पति की आय के शतांश का १/५ देना काफी होगा।

५. जो आर्य सभासद् आर्यसमाज के उद्देश्यों अथवा वैधानिक नियमों के विरुद्ध आचरण और व्यवहार करेगा उसको आर्यसमाज की अन्तरंग सभा स्थगित और साधारण सभा आर्य सभासदी से प थक् कर सकती है किन्तु अन्तरंग या साधारण सभा अपना निश्चय करने से पूर्व सम्बद्ध आर्य सभासद् को अपनी ओर से स्पष्टीकरण करने की पूर्ण सुविधा

प्रदान करेगी। ऐसे स्थगित या पथक् किए गए व्यक्ति को प्रान्तीय सभा में इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। प्रान्तीय सभा का अधिकार होगा कि इस निर्णय को स्थगित करे या पलट दे।

६. आर्यसमाज में होने वाली सभाएं दो प्रकार की होंगी :—

(१) धार्मिक (२) प्रबन्ध

धामिक सभाएं चार प्रकार की होंगी :—

(१) दैनिक, (२) साप्ताहिक,
(३) वार्षिक, (४) नैमित्तिक।

प्रबन्धक सभाएं दो प्रकार की होंगी :—

(१) वार्षिक, (२) नैमित्तिक।

धार्मिक सभा

७. दैनिक — यह सभा प्रतिदिन सम्मिलित संध्या, हवन, कथा और उपदेश आदि के लिए हो सकेगी।

साप्ताहिक — यह सभा प्रत्येक सप्ताह में एक बार हुआ करेगी। इसमें संध्या, हवन, वेदोपदेश, प्रार्थना, भजन, उपदेश आदि

और अन्त में ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त का उच्च स्वर में सम्मिलित पाठ हुआ करेगा।

टिप्पणी – जो कोई समाज सम्बन्धी मुख्य बात सभा के जानने योग्य हो वह भी इस सभा में बताई जाएगी।

वार्षिक – वार्षिक सभा (वार्षिकोत्सव) विशेष रूप से धर्म प्रचार करने और समाज में अधिक उत्साह लाने के लिए वर्ष में एक बार की जाएगी।

नैमित्तिक – किसी आवश्यक कार्य के लिए जब–जब प्रधान या मन्त्री उचित समझें, यह सभा की जाएगी। अथवा अन्तरंग सभा के २/३ सदस्य चाहें या साधारण सभा का १/३ भाग चाहे और मन्त्री व प्रधान को लिखें तब भी यह सभा की जाएगी।

प्रबन्ध सभा

८. वार्षिक – यह सभा प्रतिवर्ष नीचे लिखे प्रयोजनों के लिए हुआ करेगी :–

१. अधिकारियों, अन्तरंग सदस्यों, प्रान्तीय सभा के लिए प्रतिनिधि सदस्यों (जब अपेक्षित हो) तथा आय–व्यय लेखा निरीक्षक के निर्वाचन के लिए।

२. समाज के पिछले वर्ष का व त्तान्त सुनने, आय–व्यय स्वीकार करने तथा आय–व्यय का अनुमानित लेखा (बजट) बनाने के लिए।

३. अन्तरंग सभा के निश्चयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए।

४. उन विषयों का निर्णय करने के लिए, जिन्हें अन्तरंग सभा ने निर्णयार्थ भेजा हो।

५. इस सभा के होने के समय आदि का विज्ञापन १५ दिन पहले दिन दिया जायेगा जिसमें प्रवेशनीय विषयों के विवरण स्पष्ट लिखे जायेंगे।

चुनाव लिखित सम्मति (पर्चियों) द्वारा हुआ करेगा और सर्वसम्मति होने पर हाथ उठाकर भी हो सकेगा। किसी झगड़े की अवस्था में अन्तिम फैसला प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा का माननीय होगा।

नैमित्तिक

६. यह सभा जब कभी आवश्यकता हो, किसी विशेष काम के लिए नीचे लिखी दशा में की जायेगी :–

१. जब प्रधान चाहे और मन्त्री को आज्ञा दे।
२. जब अन्तरंग सभा चाहे।
३. जब आर्य सभासदों का दसवां भाग वा तीन आर्य सभासद्, जो भी अधिक हों, चाहें और इस निमित्त मन्त्री के पास विचारणीय विशेष महत्त्वपूर्ण विषय को स्पष्ट शब्दों मे लिखकर भेजें तो इस दशा में आवेदन–पत्र प्राप्ति के १५ दिन के भीतर अधिवेशन बुलाना प्रधान और मन्त्री का कर्त्तव्य होगा। यदि प्रधान के परामर्श से नैमित्तिक अधिवेशन बुलाने के लिए विज्ञापन नियत अवधि के भीतर न निकाला जाये तो आवेदन–पत्र देने वाले आर्य सभासद् प्रान्तीय सभा को सूचना देकर नियमानुसार अधिवेशन बुला सकेंगे।

अन्तरंग सभा

१०. समाज के सब कार्यों के प्रबन्ध के लिए अन्तरंग सभा नियुक्त की जायेगी। उसमें दो प्रकार के सभासद् होंगे, (१) अधिकारी, (२) अन्तरंग द्वारा निर्वाचित जितने आर्य सभासद् घोषित हों उनके दस प्रतिशत तक निर्वाचित सभासद्। इस दस प्रतिशत में अधिकारियों की संख्या गणना में

नहीं आयेगी।

११. वर्ष–वर्ष के पीछे अन्तरंग सभा के अधिकारी और आय–व्यय लेखा–निरीक्षक वार्षिक साधारण सभा में फिर नियत किये जायेंगे और कोई पुराना अधिकारी सर्वसम्मति होने के सिवाय ३ वर्ष से अधिक एक पद पर न चुना जा सकेगा।

१२. जब वर्ष के पहले किसी अधिकारी का स्थान रिक्त (खाली) हो तो अन्तरंग सभा स्वयं उसके स्थान पर किसी और योग्य पुरुष को नियत कर सकेगी।

१३. अन्तरंग सभा कार्य के प्रबन्ध निमित्त कोई उचित व्यवस्था कर सकती है परन्तु वह आर्यसमाज के उपनियमों और दस नियमों के विरुद्ध न हो।

१४. अन्तरंग सभा किसी विशेष कार्य के लिए अपने में से कुछ सभासदों, अन्य आर्य सभासदों वा विशेष गुण रखने वाले आर्य सदस्यों को मिलाकर उपसभा नियत कर सकती है।

१५. अन्तरंग सभा का कोई सभासद् मन्त्री को एक सप्ताह पहले विज्ञापन दे सकता है कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जाये तो यह विषय

प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जायेगा परन्तु जिस विषय के निवेदन करने में अन्तरंग सभा के ५ सभासद् या १/३ भाग (जो भी संख्या न्यून हो) सम्मति दे, वह अवश्य निवेदन करना पड़ेगा।

१६. एक मास में अन्तरंग सभा एक बार अवश्य हुआ करेगी और प्रधान की आज्ञा से या जब अन्तरंग सभा के ५ सभासद या १/३ भाग जो संख्या न्यून हो, मन्त्री को पत्र लिखें तब भी हो सकती है।

अधिकारी

१७. अधिकारी ७ प्रकार के होंगे :—

(१) प्रधान (२) उपप्रधान (३) मन्त्री
(४) उपमन्त्री (५) कोषाध्यक्ष (६) पुस्तकाध्यक्ष
(७) अधिष्ठाता आर्यवीर दल

१७. (ख) उपप्रधान, उपमन्त्री, और पुस्तकाध्यक्ष इन पदों पर आवश्यकता होने से एक से अधिक ऐसे व्यक्ति नियत हो सकते हैं और जब किसी पद पर एक से अधिक व्यक्ति निर्वाचित हों तो, अन्तरंग सभा उन्हें काम बांट सकेगी।

इस धारा के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणियां बढ़ाई जाएं :—

आर्यसमाज के अधिकारी, अन्तरंग सभासद् एवं आर्यसमाज की किसी भी संस्था का प्रमुख अधिकारी बनाये जाने से पूर्व आर्य सभासदी की अवधि निम्न प्रकार होगी :—

(क) आर्यसमाज का प्रधान, मन्त्री अथवा आर्यसमाज की किसी भी संस्था का प्रमुख अधिकारी अथवा उसकी प्रबन्धकारिणी समिति का अध्यक्ष, मन्त्री अथवा प्रबन्धक बनाए जाने से पूर्व वह व्यक्ति न्यूनातिन्यून ३ वर्ष तक निरन्तर आर्य सभासद् रहा हो।

(ख) प्रधान एवं मन्त्री के अतिरिक्त अन्य अधिकारी एवं अन्तरंग सभा का साधारण सभासद् बनाए जाने से पूर्व व्यक्ति न्यूनातिन्यून दो वर्ष तक निरन्तर आर्यसमाज का सभासद् रहा हो।

(ग) आर्यसमाज की अन्तरंग सभा के प्रत्येक सदस्य एवं आर्यसमाज की किसी भी संस्था के प्रमुख अधिकारी पद के हेतु आवश्यक होगा कि आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों में उसकी

उपस्थिति न्यूनातिन्यून ३३ प्रतिशत रही हो।

प्रधान

१८. प्रधान के नीचे लिखे अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :—

(१) प्रधान अन्तरंग सभा और समाज की सब सभाओं का सभापति समझा जायेगा।

(२) सदा समाज के कामों के यथावत् प्रबन्ध करने में और आर्यसमाज की उन्नति और रक्षा में तत्पर रहेगा। समाज के समस्त कामों को देखेगा कि नियमानुसार किए जाते हैं वा नहीं और स्वयं नियमानुसार चलेगा।

(३) यदि कोई विषय तात्कालिक और आवश्यक प्रतीत हो तो उसका यथोचित प्रबन्ध उसी समय करे और उसके बिगड़ने में उत्तरदाता वही होगा।

(४) प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण उन सब उपसभाओं का जिनका अन्तरंग सभा निर्माण करे सभासद् होगा।

१९. उपप्रधान, प्रधान के अनुपस्थित होने पर उसका प्रतिनिधि होगा और समाज के सब कामों में

प्रधान की सहायता देना उसका मुख्य काम होगा। यदि एक से अधिक उपप्रधान हों तो उनमें से किसी एक उपप्रधान को प्रधान मुख्य उपप्रधान नियत कर सकेगा।

मन्त्री

२०. मन्त्री के नीचे लिखे हुए कर्त्तव्य और अधिकार होंगे :—

(१) अन्तरंग सभा तथा प्रधान की आज्ञानुसार समाज के सब कार्यों को चलाना और समाज की ओर से सबके साथ पत्र—व्यवहार करना और समाज सम्बन्धी चिट्ठी और सब प्रकार के विशिष्ट पत्रों को संभालकर रखना।

(२) समाज की सभाओं का व त्तान्त लिखना और दूसरी सभा होने से पहले ही उसका व त्तान्त पुस्तक में लिखना वा लिखवा देना।

(३) मासिक अन्तरंग सभाओं में उन आर्य सदस्यों वा आर्य सभासदों के नाम सुनाया करना जो पिछली मासिक सभा के बाद आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए हों या उससे प थक् हुए हों।

(४) सामान्य प्रकार से समाज के भ त्यों के काम पर द ष्टि रखना और समाज के

नियम–उपनियम और व्यवस्थाओं के पालन पर ध्यान रखना।

(५) आर्यसमाज की संस्थाओं के (यदि कोई हों) प्रबन्ध पर सामान्य प्रकार से द ष्टि रखना।

(६) प्रत्येक सभा में नियत काल पर आना और बराबर ठहरना।

उपमन्त्री

२१. मन्त्री के अनुपस्थित होने पर उसका प्रतिनिधि होना और समाज के सब कामों में मन्त्री को सहायता देना उसका मुख्य काम होगा।

कोषाध्यक्ष

२२. कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे कर्त्तव्य व अधिकार होंगे :–

(१) समाज की सब आय का लेना, उसकी रसीद देना और उसको यथोचित, सुरक्षित रखना वा रखवाना और कुछ भी धन बिना रसीद लिए और बिना लेखबद्ध आज्ञा प्राप्त किए किसी को न देना।

(२) किसी को अन्तरंग सभा की आज्ञा बिना रुपया न देना वरन् मन्त्री और प्रधान को भी उस परिणाम से जितना कि अन्तरंग सभा ने उनके

लिए नियत किया हो अधिक न देना और उस धन के उचित व्यय के लिए वही अधिकारी जिसके द्वारा वह व्यय हुआ हो उत्तरदाता होगा।

(३) सब धन के आय–व्यय का रीतिपूर्वक बहीखाता रखना और प्रतिमास जांच करा कर अन्तरंग सभा में हिसाब को बहीखाते समेत स्वीक ति के लिए उपस्थित करना।

पुस्तकाध्यक्ष

२३. पुस्तकाध्यक्ष के कर्त्तव्य होंगे :–

पुस्तकालय में समाज की जो स्थिर पुस्तक और विक्रय पुस्तक हों, उन सबकी रक्षा करे और पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब–किताब रखे वह पुस्तकों का लेन–देन, मंगवाने और बेचने तथा पुस्तकालय सम्बन्धी अमानत के रखने का काम भी करे।

टिप्पणी – स्थिर वा विक्रय पुस्तकें अन्तरंग सभा की स्वीक ति से मंगाई जायेंगी।

मिश्रित

२४. सब आर्य सभासदों की सम्मति पत्र द्वारा निम्नलिखित दशाओं में ली जायेगी :–

(१) जब अन्तरंग सभा का यह निश्चय हो कि आर्यसमाज की भलाई के लिए आर्य सभासदों की सम्मति जाननी चाहिए।

(२) जब सब आर्य सभासदों का १/५ भाग या तीन सभासद् (जो भी अधिक हों) इस निमित्त मन्त्री के पास लिखकर भेजें।

(३) जब बहुत से व्यय सम्बन्धी वा प्रबन्ध सम्बन्धी वा व्यवस्था सम्बन्धी मुख्य प्रस्ताव करने हों।

२५. जब किसी सभा में कुछ समय के लिए सभापति उपस्थित न हो तो उसके स्थान में उस समय के लिए अपने मे से किसी योग्य पुरुष को वह सभा सभापति नियत कर सकती है।

२६. यदि नियमानुसार वार्षिक साधारण सभा में निर्वाचन न हो सके तो अधिक से अधिक ६ मास तक पुराने अधिकारी कार्य करते रहेंगे। यदि इस अवधि में निर्वाचन न हो सके तो प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा का प्रधान २ मास के भीतर निर्वाचन करा दे या उचित प्रबन्ध कर दे।

२७. सब सभाओं और उपसभाओं का व त्तान्त यथा सम्भव आर्यभाषा तथा देवनागरी लिपि में लिखा

जाया करेगा और उसको यदि कोई आर्य सभासद् चाहे तो मन्त्री, प्रधान की अनुमति लेकर, उसे दिखला दिया करेगा।

टिप्पणी – आर्यावर्त्त से बाहर के समाजों में जरूरत होने पर आर्याभाषा में व तान्त का नियम शिथिल हो सकता है।

२८. सब सभाओं का काम तब आरम्भ होगा जब १/३ (एक तिहाई) सभासद् उपस्थित हों।

२९. (क) सब सभाओं और उप सभाओं के सारे काम बहुपक्षानुसार निश्चित होंगे।

(ख) प्रधान के साधारण वोट (मत) के अतिरिक्त एक दूसरा निर्णायक वोट भी होगा।

३०. आय का दशांश स्थिरनिधि में रखा जायेगा।

३१. सब आर्य सदस्यों और आर्य सभासदों को संस्क त एवं आर्यभाषा अवश्य जाननी चाहिए।

३२. सब आर्य सदस्यों और आर्य सभासदों का मुख्य साप्ताहिक सत्संगों में सम्मिलित होना मुख्य कर्त्तव्य होगा।

३३. सब आर्य सदस्यों और आर्य सभासदों को

उचित है कि लाभ और आनन्द के समय समाज पर भी दृष्टि रखें और उसकी धनादि से सहायता किया करें।

३४. सब आर्य सदस्यों और आर्य सभासदों को उचित है कि शोक और दुःख के समय में परस्पर सहायता करें और आनन्द उत्सव में निमन्त्रण पर सम्मिलित हों, छोटाई–बड़ाई न गिनें।

३५. यदि कोई आर्य भाई किसी हेतु से संकट में हो वा किसी की दुःखी विधवा या सन्तान अनाथ हो जाये और उसका किसी प्रकार जीवन निर्वाह न हो सकता हो और आर्यसमाज को यह निश्चय हो जाये तो आर्यसमाज उसकी रक्षार्थ यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे।

३६. सार्वदेशिक सभा द्वारा बनाए गए सम्पूर्ण नियम जिनमें न्याय सभा का विधान भी सम्मिलित है आर्यसमाजों पर लागू होंगे।

३७. निम्नलिखित कारणों से अधिकारी अन्तरंग सभासदों के पद रिक्त समझे जाएंगे :–

(१) मत्यु होने पर।
(२) विक्षिप्त होन पर।

(३) पद परित्याग करने पर।

(४) यदि कोई व्यक्ति आर्य न्याय सभा अथवा राजकीय न्यायालय के निर्णयानुसार किसी अपराध के लिए दण्डित हुआ हो जो अन्तरंग की सम्मति में उस सभासद् को सभासद् के अयोग्य सिद्ध करे।

३८. प्रधान किसी विशेष अवस्था में अन्तरंग सभा की अनुमति लेकर किसी भी अधिकारी को स्थगित कर सकता है। परन्तु अन्तिम निर्णय के लिए १५ दिन के अन्दर नैमित्तिक साधारण सभा बुलानी होगी। यदि ऐसी सभा न बुलाई गई तो अधिकारी को स्थगित करने की आज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

३९. प्रधान को अपने पद से च्युत करने के लिए साधारण सभा में प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का कम से कम ७५ प्रतिशत मतों से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त तुरन्त वह अपने पद से पृथक् हो गया समझा जाएगा।

ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए न्यून से

न्यून १/२ आर्य सभासदों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

४०. प्रत्येक प्रान्त में एक मुख्य सभा होगी जिसका नाम **'आर्य प्रतिनिधि सभा'** होगा। सब समाजों की व्यवस्था उसी के अधीन तथा अनुकूल होगी। यह सभा अपने नियमादि स्वयं बनायेगी।

४१. स्थानीय समाज की ओर से प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की किसी आज्ञा वा व्यवस्था का घोर और निरन्तर विरोध होने अथवा स्थानीय समाज में ऐसी अव्यवस्था हो जाने पर जो प्रान्तीय सभा की सम्मति में समाज के लिए हानिकारक हो, प्रान्तीय सभा के प्रधान को अपनी अन्तरंग सभा की अनुमति से अधिकार होगा कि उस स्थानीय समाज के संगठन को नियत समय के लिए स्थगित कर दे दें। और समाज तथा समाज के अधीन संस्थाओं का प्रबन्ध उचित रीति से कराये।

४२. समस्त आर्य जगत् के लिए एक मुख्यतम सभा होगी जिसका नाम **'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा'**, होगा। समस्त आर्य प्रतिनिधि सभाओं के पुरुषार्थ को संयुक्त करके आर्य जगत् की

समुचित व्यवस्था करना उसका मुख्य कर्त्तव्य होगा। यह सभा अपने नियमादि स्वयं बनायेंगी।

४३. प्रान्तीय सभाओं से सम्बद्ध आर्य सभाओं की रजिस्ट्री प्रान्तीय सभाओं से पथक् नहीं हो सकती। यदि कोई समाज अपनी सम्पत्ति और संगठन की रजिस्ट्री पथक् करायेगा और प्रान्तीय सभा चाहे तो वह धारा ४१ के अनुसार उस समाज के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है।

४४. ये उपनियम आवश्यकतानुसार 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' द्वारा यथोचित विज्ञापन देने पर शोधे, बढ़ाए जा सकते हैं।

किसी भी आर्यसमाज को या प्रान्तीय सभा को इन उपनियमों को घटाने–बढ़ाने अथवा उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

।। ओ३म् ।।

आर्यसमाज का प्रवेशपत्र

सेवा में,

श्री मन्त्री जी!

आर्यसमाज .....

.....

महोदय,

सादर नमस्ते।

मैं प्रसन्नतापूर्वक आर्यसमाज के उद्देश्यों को (जैसा कि नियमों में वर्णन किए गए हैं) तथा मन्तव्यों और सिद्धान्तों को (जो वेदों के आधार पर ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में लिखे गए हैं) मानता हूं और उनके अनुकूल सदाचारपूर्वक* आचरण स्वीकार करता हूं। मुझे आर्यसमाज की सदस्यता प्रदान करने की क पा करें।

नाम .....

पिता का नाम .....

जन्मतिथि .....

पूरा पता .....

.....

फोन/मोबाइल नम्बर.....ईमेल.....

पिनकोड .....

व्यवसाय/व त्ति (आजीविका) .....

मासिक चन्दा (जो मेरी आय का शतांश है) .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

अन्तरंग सभा की स्वीक ति की तिथि .....

हस्ताक्षर : प्रधान ..... मन्त्री ..... कोषाध्यक्ष .....

नोट : आर्यसमाज की नियमावली के अनुसार यदि आय का निर्धारण नहीं होता है तो न्यूनतम रु० १०००/- (एक हजार रुपये) वार्षिक चन्दे से सदस्यता ग्रहण की जा सकेगी।

* **सदाचार की परिभाषा** - 'संध्या आदि नित्यकर्म, शुद्धव त्ति, वैदिक संस्कार, पत्नीव्रता वा पतिव्रत आदि सदाचार हैं तथा व्यभिचार, मद्यादि मादक द्रव्यों और मांसादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, जुआ, चोरी, छल-कपट, रिश्वत आदि दुराचार हैं।'

मैंने आर्यसमाज के नियमों तथा सदाचार की परिभाषा की प्रति को प्राप्त कर लिया है। मैं अपने जीवन में इन निमयों को तथा 'आर्य' शब्द के अर्थ को भलीभांति धारण करने का संकल्प लेता हूं।

हस्ताक्षर आवेदक

.....

प्रतिज्ञा-पत्र (आर्य सभासद्)

मैं ईश्वर के प्रतीक स्वरूप किसी मूर्ति पूजा या जड़ वस्तु अथवा व्यक्ति की पूजा नहीं करूंगा न ही म तक श्राद्ध या स्थान विशेष को तीर्थ मानूंगा, तथा किसी अवैदिक या पौराणिक विधि–विधान को नहीं मानूंगा। अर्थात् वेद विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। मैं जन्मगत जाति–पाति वा छूआछूत को नहीं मानूंगा। मैं किसी भी सम्प्रदाय विशेष या जाति संगठन का सदस्य या अधिकारी नहीं बनूंगा, तथा आर्यसमाज के नियमोपनियमों में वर्णित सदाचार का नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा।

यदि मैं इसके विपरीत आचरण करूं तो मेरी आर्यसभासदी समाप्त कर दी जाये।

हस्ताक्षर आर्य सभासद्

टिप्पणी – आर्यसमाज के सदस्य को आर्यसभासद् घोषित करने पर उनसे यह प्रतिज्ञा फार्म अवश्य भरवाया जाये। सार्वदेशिक सभा के २०. ६.१६८७ के अन्तरंग के निश्चयानुसार।

।।ओ३म्।।

आर्यसमाज के नियम-उपनियम

वर्तमान संस्करण : 3000

सन् : 2012 मूल्य : 15 रुपये

प्रकाशक :

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान
नई दिल्ली - 110002

वर्तमान कैम्प कार्यालय :
आर्यसमाज, 15-हनुमान रोड, नई दिल्ली-1
दूरभाष : 011-23360150

मुद्रक :

वैदिक प्रकाशन
दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा,
आर्यसमाज, 15-हनुमान रोड, नई दिल्ली-1

Creative Planet # 9717313232